WESTERN RAILWAY

P.S.No.16/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 636/28

Date: 24.01.2011

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Reckoning of period spent on Study Leave for earning leave.

A copy of Railway Board's letter No.F(E) III/2009/LE-1/1 dated 04.01.2011 [RBE No.01/2011] is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(Rita Hemrajani)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No.F(E) III/2009/LE-1/1 dated 04.01.2011 [RBE No.01/2011] addressed to the General Manager, All Indian Railways and Others.

Sub: Reckoning of period spent on Study Leave for earning leave.

In terms of Sub-rule (2) under Sub-heading – Counting of study leave for promotion, pension, seniority, leave and increments of Rule 556 of the Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949, of the Indian Railway Establishment Code Vol.I, 1985 Edition, the period spent on study leave shall not count for earning leave other than half pay leave under the Liberalised Leave Rules. The matter has been under consideration in consultation with the Department of Personnel & Training and it has been decided that the period spent on study leave shall be counted for earning both Leave on Average Pay and also Leave on Half Average Pay. These orders shall be effective from the date of issue of this letter.

2. Accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Sub-rule (2) under Sub-heading – Counting of study leave for promotion, pension, seniority, leave and increments of Rule 556 of the Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949, of the Indian Railway Establishment Code Vol. I, 1985 Edition may be amended as per Advance Correction Slip No.115 enclosed.

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-I

FIFTY EDITION – 1985

(Third Reprint Edition – 2008)

ADVANCE CORRECTION SLIP NO.115.

1. Sub-rule (2) under Sub-heading – Counting of study leave for promotion, pension, seniority, leave and increments of Rule 556 may be substituted with the following :-

"(2) The period spent on study leave shall be counted for earning both Leave on Average Pay and Leave on Half Average Pay."

(Authority Railway Board's letter No. F(E) III/2009/LE-1/1 dated 04.01.2011)

****

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.16/2011 प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी (पी एण्ड ए)1064/0 दि. 24-01-2011

सभी म.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .
प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' झोन,मुंबई .
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : छुट्टी के अर्जन के लिए अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि की गणना करना.

****

रेलवे बोर्ड के पत्र सं.एफ (ई) III/2009/एल ई-1/1(आर बी ई सं.01/2011) दिनांक 04.01.2011 की प्रतिलिपी सुचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेंजी जाती है ।

संलग्न : यथोक्त

(रीटा हेमराजानी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं.एफ (ई) III/2009/एल ई-1/1(आर बी ई सं.01/2011) दिनाक 04.01.2011 की प्रतिलिपी ।

विषय : छुट्टी के अर्जन के लिए अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि की गणना करना

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण, के रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी) नियम 1949 के नियम 556, उप शीर्ष प्रोन्नति, पेंशन, ज्येष्ठता, छुट्टी और वेतन वृध्दियों के लिए अध्ययन छुट्टी की गणना के उप नियम (2) के अनुसार अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि अर्धवेतन छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी के अर्जन के लिए उदारीकृत छुट्टी नियमों के अधीन गणना में नहीं ली जाएगी. मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि औसत वेतन छुट्टी और

अर्ध-औसत वेतन छुट्टी दोनों के अर्जन के लिए गणना में ली जाएगी. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे .

2. तदनुसार, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I, 1985 संस्करण के रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी) नियम् 1949 के नियम 556, उप शीर्ष प्रोन्नति, पेंशन, ज्येष्ठता, छुट्टी और वेतन वृध्दियों के लिए अध्ययन छुट्टी की गणना के उप नियम (2) को संलग्न अग्रिम शुध्दी पर्ची सं.115 के अनुसार संशोधित किया जाए .

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, (पांचवां संस्करण-1985)

(तृतीय पुनर्मुद्रित संस्करण -2008)

अग्रिम शुध्दी पर्ची सं.115

1. नियम 556, उप शीर्ष-प्रोन्नति, पेंशन, ज्येष्ठता, छुट्टी और वेतन वृध्दियों के लिए गणना के उप नियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

" (2) अध्ययन छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि औसत वेतन छुट्टी और अर्ध-औसत वेतन छुट्टी दोनों के अर्जन के लिए गणना में ली जाएगी. "

(प्रधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.01.11 का पत्र सं.एफ(ई)III/2009/एल ई-1/1)